

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

| क्र.सं. | फर्द अहकाम | दि.सं. |
|---------|--|--------|
| | <p>25/8/25 आज यह पत्रावली वकील सायलान के पत्रिका पत्र पर तलब की गई। पत्रिका पत्र में अंकित किया है कि पत्रकारों के मध्य राजीनामा हो गया है। इसलिए पत्रकारों अब मुकदमा को आगे चलाना नहीं चाहेते हैं। इसलिए पत्रावली को आगामी पेशी 29/9/25 में तलब फरमाई जाकर Not Press में खारिज किया जावे।</p> <p>हमने वकील सायलान को सफरफों में सुना गया तथा पत्रावली को अवलोकन किया गया। सायलान का पत्रिका पत्र स्वीकार किया जाकर मु.नं. 78/2024 अनवान अब्दुल सरदार प/स मु. सितारा वगैरे पत्रिका आस्था निषेधाज्ञा को Not Press में खारिज किया जाता है। उक्त प्रकरण में दिनांक 12/6/2024 को जारी अन्तरिम रचयण आदेश को विद्ध्यु किया जाता है। पत्रावली प्रिसल सुमाट होकर बाद तकमील नम्बर प्रकम की जाकर मूल शर्त के साथ शामिल प्रिसल रहे।</p> <p>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> | |

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (कौली)

25